(५)

(१) यह कि सरवसे गुमन मुरीदखां वल्द सैठा मुरीया की ख्याता नं-४६९= वाके मौजा रेडमा की जमीन का पुख्ता हकीयत है। खातेदारी कास्त तौर पर आई है जिस पर शर्ते हैं ... कायम है का विवाद नहीं रहा।

(२) यह कि शर्ते रैत मजकूर आपने चार लड़के नामे (१) हुसैनी मुरीया (२) साहीन मुरीया (३) गरीबा मुरीया (४) महावीर मुरीया को ... वारीस छोड़कर फौत हो गये। वो रकबा मजकूर की जमीन चारों बेटों के कब्जा काश्त में आया।

(३) यह कि कुछ दिनों के बाद चारों भाई में बटवारा हो गया तो उसीकी मुरीया अलग व महावीर मुरीया अलग होकर काश्त खेतीबाड़ी करने लगे, वो साहीन मुरीया व गरीबा मुरीया सैकसाथ रहकर खेतीबाड़ी करने लगे, वो कुछ समय के बाद गरीबा मुरीया को ... साहीन मुरीया के साथ ... रहकर लावल्द मर गया। वो गरीबा मुरीया के हिस्से की जमीन भी अकेला साहीन मुरीया के कब्जा दखल में आ गया:

(४) यह कि उपरोक्त सब बेल्याजात के मौताबिक = विक्रेताओं की हकीयत व हिस्सेदारी हासिल है।

(५) यह कि विक्रेता = विक्रय मूल्य पर कोई भी पट्टे दौरान के पर बीकानामा नहीं किया है। व न इसके ... कोई भी मामला अदालती या तहसीली किसी कुरवरी से लाम नहीं आया है। विक्रेताओं की हकीयत पाक है, ... इसकी पुरी अदायगी वो कानूनन पाबन्दी उस विक्रेताओं पर होगा। वो इस विक्रयमूल्य के ...

स्व. रामलाल मुरीया ...
...
वल्द ... रेडमा ... को कुबूल है